ग्राम पंचायत ढ़गवार, विकास खण्ड धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० – 176001 के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत ढ़गवार, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती सुषमा राणी	01/04/2023 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती पम्मी देवी	01/04/2023 से 03/12/2023
2.	श्री संतोष कुमार	04/12/2023 से 31/03/2023

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री ओंकार दत्त	01/04/2023 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती नीलम कुमारी	01/04/2023 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत ढ़गवार के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	गत अंकेक्षण अनुसार 31.03.2023 को समेकित अंतशेष एवं रोकड़ बही अनुसार 01.04.2023 को प्रारम्भिक शेष में अत्यधिक अंतर पाया जाना	**1.28**
2.	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	**51.02**
3.	7.1	संपत्ति कर/गृहकर वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.61**
4.	7.2	दुकानों के किरायेदार से देय किराया वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.90**
5.	8.1	खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान का पाया जाना	**1.74**
6.	8.2	बजरी एवं पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	**0.14**
7.	8.3	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	**0.49**

8.	8.4	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करना	**0.49**
9.	8.5	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	**2.20**
10.	8.6	प्रोफॉर्मा एवं मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	**2.20**
11.	8.7	निर्धारित खपत मानदण्डों एवं अनियमित माप गणना के दृष्टिगत अपेक्षाकृत अधिक भुगतान का पाया जाना	**0.21**
12.	8.8	विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत व्यय राशि से सम्बन्धित वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	**2.11**
13.	9.1	व्यक्तिगत कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने की अपेक्षा आपूर्तिकर्ता को अनियमित भुगतान करना	**0.86**
14.	9.2	मनरेगा के अन्तर्गत स्वीकृत राशि से सम्बन्धित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करना	**16.04**
15.	10.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को हि० प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि	**0.02**

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत ढ़गवार का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 व 01/04/2021 से 31/03/2023 के लिये किया गया था, जिनके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

(i) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 तक</u>

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति
1.	3	निर्णीत (मांग व प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 80 से अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त)
2.	4	अनिर्णित

3.	5	अनिर्णित
4.	5.1	अनिर्णित
5.	5.2	अनिर्णित
6.	5.3	अनिर्णित
7.	6	अनिर्णित
8.	7	अनिर्णित
9.	8	अनिर्णित
10.	9	अनिर्णित
11.	10	अनिर्णित
12.	11	अनिर्णित
13.	12	अनिर्णित
14.	13	अनिर्णित

(ii) <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक</u>

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति
1.	3	**अनिर्णीत**
2.	4	**अनिर्णीत**
3.	4.1	**अनिर्णीत**
4.	4.2	**अनिर्णीत**
5.	4.3	**अनिर्णीत**
6.	4.4	**अनिर्णीत**
7.	5	**निर्णीत** (नवीनतम स्थिति अनुसार वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
8.	6	**निर्णीत** (नवीनतम स्थिति अनुसार वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
9.	7(क)	**निर्णीत** (नवीनतम स्थिति अनुसार वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
10.	7(ख)	**निर्णीत** (नवीनतम स्थिति अनुसार वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)

11.	7(ग)	**अनिर्णीत**
12.	7(घ)	**अनिर्णीत**
13.	8.1	**अनिर्णीत**
14.	8.2	**अनिर्णीत**
15.	8.3	**अनिर्णीत**
16.	9	**अनिर्णीत**
17.	10	**अनिर्णीत**
18.	11	**निर्णीत** (नवीनतम स्थिति अनुसार वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
19.	12	**निर्णीत** (नवीनतम स्थिति अनुसार वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)

उपरोक्त तालिका (i) व (ii) अनुसार शेष पैरों की नवीनतम स्थिति से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुपालना में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, जो कि अंकेक्षण के प्रति ग्राम पंचायत ढ़गवार की उदासीनता को परिलक्षित करता है। अतः शेष अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु नियमानुसार एवं अंकेक्षण सुझावानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाते हुये समर्थित सत्यापित अभिलेख सहित अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत ढ़गवार, विकास खण्ड धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11.02.2025 से 17.02.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2023-24	07/2023	03/2024

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u> - इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 14/2024/ढ़गवार दिनांक 17.02.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 18/2025 दिनांक 17.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 38/2024 दिनांक 11.02.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्व: स्रोत:-

अवधि	**अथशेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (कालम 2+3) (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तशेष (कालम 4-5) (₹)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2023-24	1598411.00	198760.00	1797171.00	182598.00	1614573.00

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (कालम 2+3) (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (कालम 4-5) (₹)
1	2	3	4	5	6
2023-24	4068913.42	4026434.35	8095347.77	2993411.05	5101936.72

कुल योग (1+2) = 1614573.00 + 5101936.72 = **6716509.72**

<u>नोट:-</u> ग्राम पंचायत ढ़गवार का गत अंकेक्षण (अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023) हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार किया गया था एवं वर्तमान अंकेक्षण ONLINE रोकड़ बहियों अनुसार किया गया परिणामस्वरूप गत अंकेक्षण की वित्तीय स्थिति के अंतशेष एवं वर्तमान अंकेक्षण के प्रारम्भिक शेष में अंतर पाया गया एवं इस अनियमितता को अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4.1 पर प्रारूपित किया गया है।

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष **₹67,16,509.72** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹17,81,651.91 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024 (₹)
1.	सभा निधि (OWN SOURCE)	KCCB मसरेड़	50052299041	₹ 16,14,573.00
2.	5वां राज्य वित्तायोग (5^{TH} SFC)	KCCB मसरेड़	50057198220	₹ 1,59,970.00

		KCCB मसरेड़	50074536544	₹ 3,04,088.00
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA)	KCCB मसरेड़	50056988231	₹ 79,117.00
5.	राजीव आवास योजना/ अटल आवास योजना (RAYEAAY)/ इंदिरा आवास योजना (IAY)	KCCB मसरेड़	50056851502	₹ 369.00
6.	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	KCCB मसरेड़	50057188711	₹ 5,23,922.00
7.	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)/राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)/अनुसूचित जातियों (एस.सी.) के लिए विशेष घटक योजना (SCSP)	KCCB मसरेड़	50058707168	₹ 3,72,375.70
8.	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	KCCB मसरेड़	50065507070	₹ 16,951.00
9.	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	KCCB मसरेड़	50057298430	₹ 3,02,296.00
10.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.)	KCCB मसरेड़	50066693950	₹ 1,324.00
11.	14वाँ वित्तायोग (14TH FC)	KCCB मसरेड़	50058357780	₹ 3,398.42
12.		HDFCधर्मशाला	50100317317251	₹ 2,86,600.30
13.	15वाँ वित्तायोग (15TH FC)	HDFCधर्मशाला	50100374041357	₹ 30,51,525.30
	हस्तगत नकद शेष (Own Source)			₹ 0.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :-			₹ 67,16,509.72
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			**₹ 67,16,509.72**
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-			**₹ 67,16,509.72**
	अंतर :-			**₹ 0.00**

4.1 गत अंकेक्षण अनुसार दिनांक 31.03.2023 को समेकित अंतशेष एवं रोकड़ बही अनुसार 01.04.2023 को प्रारम्भिक शेष में राशि ₹1.28 लाख के अत्यधिक अंतर बारे:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश

पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गत अंकेक्षण (अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023) हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार किया गया था एवं वर्तमान अंकेक्षण E-Gram Swaraj Portal पर संधारित रोकड़ बहियों अनुसार किया गया परिणामस्वरूप गत अंकेक्षण अनुसार 31.03.2023 को समेकित अंतशेष एवं वर्तमान अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत रोकड़ बहियों तथा वित्तीय स्थिति अनुसार 01.04.2023 को प्रारम्भिक शेष में **परिशिष्ट " घ"** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹1,27,870.30** का अन्तर पाया गया जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/ढ़गवार दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 05/2025 दिनांक 14.02.2025 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा हस्तलिखित रोकड़ बहियों के साथ-साथ E-Gram Swaraj Portal पर संधारित रोकड़ बहियों का भी अद्यतन किया गया है एवं हस्तलिखित रोकड़ बहियों से E-Gram Swaraj Portal पर कार्य करने हेतु परिवर्तन के दौरान त्रुटिपूर्वक online रोकड़ बहियों एवं बैंक में राशि **₹1,27,870.30** का अंतर पाया गया है जिस बारे सुधारात्मक कार्रवाई हेतु विभागीय स्तर पर पत्राचार कर E-Gram Swaraj पर संधारित रोकड़ बहियों का बैंक से मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 योजनावार पृथक बैंक खाते न खोलना: -

निदेशक पंचायती राज विभाग हि०प्र० के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से सम्बन्धित स्वीकृति पत्र में PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निधियों के आय व्यय हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता नहीं खोले गये थे, जोकि अनियमित है:-

<table>
<tr><th>क्र०सं०</th><th>शीर्ष</th><th>बैंक</th><th>खाता सं०</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>5वां राज्य वित्तायोग (5^{TH} SFC)</td><td>KCCB मसरेड़</td><td>50057198220</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>5वां राज्य वित्तायोग (5^{TH} SFC)</td><td>KCCB मसरेड़</td><td>50074536544</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>राजीव आवास योजना/ अटल आवास योजना (RAYEAAY)</td><td rowspan="2">KCCB मसरेड़</td><td rowspan="2">50056851502</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>इंदिरा आवास योजना (IAY)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)</td><td rowspan="3">KCCB मसरेड़</td><td rowspan="3">50058707168</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>अनुसूचित जातियों (एस.सी.) के लिए विशेष घटक योजना (SCSP)</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>14वाँ वित्तायोग (14^{TH} FC)</td><td>KCCB मसरेड़</td><td>50058357780</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>14वाँ वित्तायोग (14^{TH} FC)</td><td>HDFCधर्मशाला</td><td>50100317317251</td></tr>
</table>

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण उपरोक्त तालिका में वर्णित अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही

वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/ढ़गवार दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 05/2025 दिनांक 14.02.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार योजना वार अलग-अलग बैंक खाते खोलकर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व समस्त अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों के वाउचरों से सम्बन्धित निम्न तालिका में दर्शाये गये कार्यों के निष्पादन हेतु योजनावार एवं कार्य के अनुसार निधियों की कुल प्राप्ति एवं भुगतान की पुष्टि सम्भव न हो सकी तथा उक्त कार्यों को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं की पुष्टि सम्भव न हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्रोत व अनुदानों से प्राप्त की गई आय की भी लेखा/ खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी :-

क्र०सं०	**अनुदान**	**वा०सं०/ दिनांक**	**बिल सं०/ दिनांक**	**कार्य का नाम**	**चयनित माह में भुगतान की गई राशि (₹)**
1.	VKVNY	VKVNY/2023-24/P/5 Dt 15.03.2024	Not Produced	सौन्दर्यकरण मोक्ष धाम वार्ड नं 3	₹19,850.00

2.	VKVNY	VKVNY/2023-24/P/6 Dt 15.03.2024	Not Produced	निर्माण मोक्ष धाम वार्ड नं 3	₹21,835.00
3.	VKVNY	VKVNY/2023-24/P/7 Dt 15.03.2024	Not Produced	निर्माण खेल मैदान नजदीक GMS ढ़गवार वार्ड नं 3	₹19,056.00
4.	VKVNY	VKVNY/2023-24/P/8 Dt 27.03.2024	Not Produced	निर्माण कुहल नजदीक प्रवीण कुमार की ज़मीन वार्ड 06	₹9,200.00
5.	VKVNY	VKVNY/2023-24/P/9 Dt 27.03.2024	Not Produced	निर्माण शेड नजदीक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र ढ़गवार वार्ड नं 03	₹6,400.00
6.	SDP/SDRF	SDP/2023-24/P/6 Dt 01.03.2024	079/ 28.06.2023	निर्माण बलड़ी कुहल देवराज के घर से राम ढण के घर कि ओर	₹41,700.00
		SDP/2023-24/P/7 Dt 01.03.2024	078/ 28.06.2023		₹2,085.00
7.	SDP/SDRF	SDP/2023-24/P/9 Dt 15.03.2024	Not Produced	C/O Moksh Dham Ward No. 3	₹32,554.00
8.	SDP/SDRF	SDP/2023-24/P/10 Dt 15.03.2024	Not Produced	निर्माण रास्ता इंटरलोक टाइल मेन रोड से किशोरी लाल के घर तक	₹8,734.00
9.	SDP/SDRF	SDP/2023-24/P/11 Dt 15.03.2024	Not Produced	C/O Path with interlocking tiles from Dodan culvert to Kartar Chand Land	₹13,895.00
10.	MMGPY	MMGPY/2023-24/P/1 Dt 27.03.2024	Not Produced	C/O Path Lota Ram House towards Ramesh Chand House	₹35,600.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/ढ़गवार दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 06/2025 दिनांक 14.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि खाता बही असंधारित है

भविष्य में नियमानुसार खाता बही का अद्यतन कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्वः-स्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/ढ़गवार दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07/2025 दिनांक 14.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज अंकेक्षणापत्ति के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोषजनक एवं तर्कसंगत नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹51.02 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 38/2024 दिनांक 11.02.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹51,01,936.72** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/ढ़गवार दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07/2025 दिनांक 14.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके शेष अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को फण्डिंग एजेन्सी के मार्ग दर्शन एवं दिशा निर्देशानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **79**(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को

अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज विभाग हि०प्र० के पत्र सं० पी०सी० एच०-एच०, ए० (5)(सी)(15)313/88-4614-478 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व अन्य स्वीकृत एजेन्सी से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवायेगा ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित किया जा सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/ स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गए। लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/ढ़गवार दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07/2025 दिनांक 14.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अनुदानों के आदेश व स्वीकृति पत्र विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त नहीं हुए है, जिन्हें भविष्य में प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा ।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का प्रकरण नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु पंचायती राज विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

6.3 अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **61 (1)** के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है एवं नियम **79(2)** के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/ढ़गवार दिनांक 13.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07/2025 दिनांक 14.02.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदान रजिस्टर असंधारित है एवं भविष्य में अनुदान रजिस्टर को संधारित कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अपेक्षित रजिस्टर का नियमानुसार रख –रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में भी नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (***Update)*** करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखांकन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व राशि ₹1.51 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

7.1 संपत्ति कर/गृहकर राशि ₹0.61 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/ढ़गवार दिनांक

14.02.2025 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 08/2025 दिनांक 15.02.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹50/- प्रति परिवार की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹60,650.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.2024 को शेष थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " ङ "** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/ढ़गवार दिनांक 17.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 17.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को संधारित कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 दुकानों के किरायेदार से देय किराया ₹0.90 लाख राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा दुकानों के किराये से सम्बन्धित मांग व वसूली पंजिका का संधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित किराये तथा वसूली का पूर्ण पता लगाया जा सके। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/ढ़गवार दिनांक 31.01.2025 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 29 दिनांक 01.02.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत द्वारा दुकानों हेतु ₹600/- प्रतिमाह की दर से किराया आरोपित किया था एवं कुल 07 दुकानों से राशि **₹90,400.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.2024 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " च"** पर संलग्न है। व्यवसायिक दुकानों के किराये से सम्बन्धित मांग व वसूली पंजिका असंधारित होने के कारण लम्बित किराया तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। व्यवसायिक परिसर/भवन के किराये की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/ढ़गवार दिनांक 17.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 17.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि दुकानों के किराये की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार व्यवसायिक परिसर/भवन के किराये से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण प्रारूप – 10 के अनुसार कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 दुकानों के किरायेदार से अनुबंध हस्ताक्षरित न करना: -

हि० प्र० पंचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश संख्याः पीसीएची-एचसी (7) 10/80 दिनांक 17 सितम्बर 2008 अनुसार ग्राम पंचायत को व्यवसायिक परिसर/भवन को किराये पर देने के लिए कमेटी गठित करना, सम्बन्धित किरायेदार के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करना, सम्बन्धित व्यवसायिक परिसरों/भवनों का किराया लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों से कम न हो एवं व्यापक प्रचार इत्यादि सुनिश्चित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा दुकानों के किरायेदार के साथ किराये से सम्बन्धित कोई भी लिखित अनुबंध का कार्यान्वयन नहीं किया गया था और न ही पंचायत के पास इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख अर्थात माहवार दर तथा नियम व शर्ते इत्यादि उपलब्ध थी जिस कारण मासिक किराये की पूर्ण पुष्टि अंकेक्षण के दौरान संभव न हो सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/ढ़गवार दिनांक 17.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 17.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि दुकानों को नियमानुसार कमेटी का गठन किए बिना किराये पर दिया गया और किरायेदार के साथ किसी भी प्रकार का अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किया गया है और इस बारे अंकेक्षण को आश्वासन दिया जाता है नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर उक्त उल्लेखित कार्यालय आदेश, अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः दुकानों के किरायेदार के साथ किराये से सम्बन्धित लिखित अनुबंध का कार्यान्वयन एवं पूर्व उल्लेखित कार्यालय आदेश की अनुपालना सुनिश्चित न करने के

कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाते हुए किरायेदार के साथ किराये से सम्बन्धित लिखित अनुबंध का कार्यान्वयन कर नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित नियमित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की वैधानिक कठिनाई न हो तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

इसके अतिरिक्त दिनांक 17.09.2008 के कार्यालय आदेश के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का प्रकरण नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹1.74 लाख के अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अतिरिक्त निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र क्रमांक XEN-(RD&PR)-DB-GENERAL/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 व XEN-(RD&PR)-Royalty/2011-Vol-1-10247-10393 दिनांक 24.07.2024 द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गये कि खनन सामग्री क्रय हेतु भुगतान केवल सम्बन्धित ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरांत ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के नमूना अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत

द्वारा नियमों की अवहेलना एवं निर्देशों की अनदेखी के परिणामस्वरूप **परिशिष्ट - " छ "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹1,74,395.00** का आपूर्तिकर्ता को अनियमित भुगतान किया गया था। ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने के कारण क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्रोत की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस कारण अवैध खनन स्रोत से आपूर्ति की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/ढ़गवार दिनांक 15.02.2025 द्वारा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पुनः आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 13/2025 दिनांक 17.02.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निर्माण कार्यों पर प्रयोग की गई सामग्री (रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि) के बिलों के समर्थन में ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई और भुगतान किया गया। ग्राम पंचायत ने आश्वासन दिया कि आपूर्तिकर्ता से ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः राशि **₹1,74,395.00** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में सम्बन्धित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में खनन सामग्री के क्रय के दौरान बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये व तदोपरान्त ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.2 बजरी एवं पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.14 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) द्वारा भवनों एवं सड़कों हेतु सामग्री सम्बन्धी अध्याय 2 के पैरा सं० 2.1.2.13 में बजरी (Aggregate) एवं पत्थरों

(Stone/Boulders) के आकार अनुसार आपूर्ति के दौरान रिक्तियों (Voids) की कटौती 5%, 10% एवं 12.5% करना निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने हेतु नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को रिक्तियों की कटौती किए बिना कुल राशि **₹1,40,425.00** का भुगतान किया गया जिस पर राशि **₹13,693.00** का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ज "** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/ढ़गवार दिनांक 15.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14/2025 दिनांक 17.02.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार रिक्तियों (Voids) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आश्वासन दिया गया कि अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा देगी। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा कटौती योग्य रिक्तियों की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं/उचित स्रोत से की जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भुगतान से पूर्व रिक्तियों की कटौती से सम्बन्धित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदोपरान्त ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.3 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹0.49 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹49,106.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट - " झ "** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/ढ़गवार दिनांक 15.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15/2025 दिनांक 17.02.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया गया कि कार्य की आकस्मिकता के कारण औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना राशि **₹ 49,106.00** की निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से किया व अंकेक्षण को आश्वासन दिया कि भविष्य में सामग्री का क्रय औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण करने उपरांत ही किया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। नियमानुसार सामग्री क्रय न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.4 राशि ₹0.49 लाख की सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट " झ "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹49,106.00** के भण्डार की स्टॉक प्रविष्टि नहीं की थी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/ दिनांक 17.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 17.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि स्टॉक प्रविष्टि कर ली जाएगी। प्रस्तुत प्रतिउत्तर नियमों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में क्रय सामग्री/भंडार के दुर्विनियोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.5 अग्रिम राशि ₹2.20 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत तक समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित चैतडू को सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹2,19,528.00** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं

हुआ था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " ञ "** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/ढ़गवार दिनांक 17.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 17.02.2025 द्वारा बताया गया कि अग्रिम राशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को संधारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित धर्मशाला को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.6 राशि ₹2.20 लाख के प्रोफॉर्मा बिल एवं मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणियों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट के क्रय से सम्बन्धित प्रोफॉर्मा एवं मूल बिल (Original Bill) प्रस्तुत नहीं किए गये। ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित चैतड़ू को **परिशिष्ट " ञ "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹2,19,528.00** का भुगतान किया गया जिसके बदले में समय-समय पर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग हेतु सीमेंट लिया गया। उक्त भुगतान एवं प्राप्त सीमेंट की मात्रा से सम्बन्धित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण सीमेंट की स्टॉक प्रविष्टियों एवं खपत की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/ढ़गवार दिनांक 17.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया,

जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 17.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित चैतड़ू से मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर अग्रिम भुगतान राशि की जांच पड़ताल कर वस्तुस्थिति व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं सम्बन्धित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन करने उपरांत नियमानुसार अग्रिम समायोजन लेखें सहित कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सीमेंट के क्रय हेतु अग्रिम भुगतान केवल दार्शनिक बिल (Proforma Bill) प्राप्ति के उपरांत ही किया जाये।

8.7 निर्धारित खपत मानदण्डों एवं अनियमित माप गणना के दृष्टिगत राशि ₹0.21 लाख का अपेक्षाकृत अधिक भुगतान बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के तहत ग्राम पंचायत को निधियों के व्यय के दौरान प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता का अनुपालन करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान 15वां वित्त आयोग (15th FC) के अंतर्गत निष्पादित निर्माण कार्य "**कार्यपूर्ति रास्ते में इंटरलोक टाइल लगाने हेतु विवेक की दुकान से सतीश वालिया की दुकान की ओर**" से सम्बन्धित माप पुस्तिका, बिल, वॉउचर इत्यादि के अवलोकन पर निर्धारित खपत मानदण्डों एवं अनियमित माप गणना के दृष्टिगत अपेक्षाकृत राशि **₹21,245.00** का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान पाया गया, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ट "** पर संलग्न है। माप पुस्तिका में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय तकनीकी उच्च अधिकारियों द्वारा नियमानुसार भुगतान हेतु पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था एवं सामग्री के बिलों को

तकनीकी सहायक द्वारा भुगतान से पूर्व सत्यापित नहीं किया गया था। प्रथम दृष्ट्या इस राशि का दुर्विनियोजन/गबन किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/ढ़गवार दिनांक 15.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 16/2025 दिनांक 17.02.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि अनियमित माप गणना एवं खपत से अधिक सामग्री क्रय बारे तकनीकी सहायक से चर्चा उपरांत त्रुटि स्वीकार की जाती है व अंकेक्षण को आश्वासन दिया जाता है कि इस विषय में पंचायत जांच कर उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा देगी। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियम प्रावधानों एवं अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः निर्धारित खपत मानदण्डों एवं अनियमित माप गणना के दृष्टिगत किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जांच एवं सत्यापना उपरांत समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उक्त प्रकरण पंचायती राज विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि इस प्रकार के अन्य मामले होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जिस कारण विभागीय स्तर पर पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों की विस्तृत जांच उपरान्त यथास्थिति लाई गई अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

8.8 विभिन्न अनुदानों के अर्न्तगत व्यय राशि ₹2.11 लाख से सम्बन्धित वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम **94, 95** व **101** के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। नियम **79(2)** अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा

और सभी अभिलेखों, विवरणियों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित विकास कार्यों हेतु चयनित माह में व्यय राशि **₹2,10,909.00** का भुगतान **परिशिष्ट " ठ "** पर संलग्न विवरणानुसार किया गया जिससे से सम्बन्धित प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं अनुभागी/संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में सम्बन्धित स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय राशि की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/ढ़गवार दिनांक 17.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 17.02.2025 में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने का मामला हि०प्र० पंचायती राज के विभागीय उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने एवं वस्तुस्थिति अनुसार, नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु लाया जाता है।

9. मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितता बारे

9.1 व्यक्तिगत कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने की अपेक्षा आपूर्तिकर्ता को राशि ₹0.86 लाख का अनियमित भुगतान करना:-

निदेशक-सह-आयुक्त (मनरेगा) ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश, के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों

की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु आपूर्तिकर्ता के खातों में सामग्री का भुगतान करने के बजाय, इसे व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये खरीदी गई सामग्री हेतु भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने के परिणामस्वरूप राशि **₹85,990.28** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है , जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ड "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/ढ़गवार दिनांक 17.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 17.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार सामग्री का भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति/समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये व अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 मनरेगा के अन्तर्गत स्वीकृत राशि ₹16.04 लाख से सम्बन्धित वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम **94, 95** व **101** के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। नियम **79(2)** अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा

और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों हेतु **परिशिष्ट " ढ "** पर संलग्न विवरणानुसार स्वीकृत राशि **₹16,03,555.00** से सम्बन्धित प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं अनुभागी/संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में सम्बन्धित स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय राशि की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/ढ़गवार दिनांक 17.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 17.02.2025 में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः मनरेगा के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों हेतु व्यय राशि से सम्बन्धित वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने का मामला हि०प्र० पंचायती राज के विभागीय उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने, वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु लाया जाता है।

9.3 विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिका के अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिसूचना क्रमांक PCH-HB(1)10/2017-PREW-44424-570 दिनांक 23.07.2019 के अनुसार तकनीकी सहायकों द्वारा माप पुस्तिका में तैयार किए गए कार्य अभिलेख प्रविष्टियों और बिल के मूल्यांकन के लिए, ₹3.00 लाख तक की लागत वाले कार्य जूनियर इंजीनियर द्वारा पारित किए जाएंगे और जूनियर

इंजीनियर द्वारा तैयार किए गए ₹3.00 लाख से अधिक लागत वाले रिकॉर्ड प्रविष्टियों और बिल को सहायक इंजीनियर या कार्यकारी इंजीनियर द्वारा पारित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

अंकेक्षण के दौरान पैरा 9.3 अनुसार **परिशिष्ट " ड "** पर संलग्न दृष्टांत मामलों में माप पुस्तिकाओं के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माप पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित करवाए बिना भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना के उपरांत किया गया था। फलस्वरूप किये गये भुगतानों की तकनीकी रूप से नमूना जांच एवं सत्यापना के अभाव में किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/ढ़गवार दिनांक 17.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 17.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल एवं तथ्यपूर्ण न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: भविष्य में उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.4 मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्हीं को भुगतान किया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/ढ़गवार दिनांक 17.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया,

जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 17.02.2025 द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल एवं तथ्यपूर्ण न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip का पंचायत में न पाया जाने को न्यायोचित ठहराया जाये व मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹0.002 लाख की राजकीय कोष को राजस्व हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200.00(APL)/₹25.00(BPL) प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400.00(APL)/₹50.00(BPL) अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है तथा जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹200.00** वसूली हेतु शेष है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ण "** पर संलग्न है। विवाह पंजीकरण शुल्क की नियमानुसार वसूली न करने के कारण राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/ढ़गवार दिनांक 14.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये उनके प्रतिउत्तर 12/2025 दिनांक 15.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वसूली हेतु शेष विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर तदोपरान्त सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.02 लाख को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹1,800.00** जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ण "** पर संलग्न है को राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस कारण हि०प्र० राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/ढ़गवार दिनांक 14.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर 12/2025 दिनांक 15.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10.3 पंचायत बैठक की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया का पालन न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 27 (3) के अनुसार "निर्माण कार्यों तथा विकासात्मक कार्यों के लेखों का अनुमोदन प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक का अनिवार्य एजेण्डा होगा । पूर्व मास आय-व्यय का मदवार विवरण विहित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों के आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रपत्र 34 पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया गया कि लेखा-जोखा प्रपत्र 34 अनुसार असंधारित है तथा ग्राम पंचायत का आय-व्यय नियमानुसार ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ नहीं रखा जा रहा है जोकि पंचायत की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/ढ़गवार दिनांक 17.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 17.02.2025 द्वारा बताया गया कि नियमानुसार लेखा-जोखा खाता का संधारण कर लिया जाएगा व बैठक/सभा की कार्यवाही नियमपूर्वक अमल में लाई जाएगी।

अतः उक्त मामले में सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.4 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनुरूप लेखों का रख-रखाव ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत के चयनित मासों के व्यय वाउचरों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.5 वाउचर नम्बरों का न लगाया जाना: -

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2022-23 व 2023-24 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.6 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए अनुभागी / संकर्म समिति द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के **"परिशिष्ट -ई"** में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देख-रेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट " ठ ", " ड " व " ढ "** पर संलग्न दृष्टांत मामलों ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है जिस कारण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों एवं तथ्यों की सत्यता, पुष्टि एवं प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सका।

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	वर्गीकृत सार	29(4)	08
4.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
5.	बजट प्राक्कलन	37	11
6.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
7.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
8.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24
9.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
10.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
11.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
12.	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	---	101(2)

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 नियमावली अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	स्थाई स्टॉक रजिस्टर	34	01
2.	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	34	02
3.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
4.	सहायता अनुदान रजिस्टर	34	08
5.	कर रजिस्टर	34	```
6.	विकास कार्यों का लेखा जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 105(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/ढ़गवार दिनांक 14.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 10/2025 दिनांक 15.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12034/01/2016 - आर ई -1 (347366) दिनांक 17.11.2016 अनुसार मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टरों का रख-रखाव करने हेतु निर्देश जारी किए ताकि ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अपना समय प्रभावी तथा लाभदायक ढंग से लगा सकें।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टर में से निम्नलिखित रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

क्रमांक	रजिस्टर क्रमांक	रजिस्टर का प्रायोजन
1.	रजिस्टर - I	जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण और जारी करने के लिए) और घरेलू रोजगार रिपोर्ट।
2.	रजिस्टर-III	कार्य की मांग, कार्य आवंटन और मजदूरी भुगतान रजिस्टर
3.	रजिस्टर-IV	कार्य (Work) रजिस्टर
4.	रजिस्टर-V	अचल संपत्ति रजिस्टर
5.	रजिस्टर-VI	शिकायत रजिस्टर
6.	रजिस्टर-VII	सामग्री रजिस्टर

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/ढ़गवार दिनांक 14.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11/2025 दिनांक 15.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित सभी रजिस्टरों को नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/ढ़गवार दिनांक 17.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17/2025 दिनांक 17.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ख) PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में क्रियान्वयन बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण PRIASoft लेखा प्रणाली में लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA Act 2005) एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) और हि०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा वर्णित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/प्र०
2510-2514 30 APR 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)70/2016–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला,, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत ढ़गवार, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

का०/प्र०

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " 4(क) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत ढगवार, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176001

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP DHAGWAR FOR THE YEAR 2023-24

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2023-24	1598411.00	198760.00	1797171.00	182598.00	1614573.00

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2023-24	4068913.42	4026434.35	8095347.77	2993411.05	5101936.72

It is certified that above Financial Position of grants presented to Audit is as per Online Cashbooks maintained on E-Gram Swaraj.

संतोष कुमार

41

(परिशिष्ट " ख " पैरा संख्या " 4(क)" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत ढ़गवार, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176001

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP DHAGWAR FOR THE YEAR 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1.	5th SFC	2023-24	559143.00	466652.00	1025795.00	561737.00	464058.00
2.	RGSA	2023-24	85094.00	2443.00	87537.00	8420.00	79117.00
3.	RAYEAAY	2023-24	325.00	0.00	325.00	0.00	325.00
4.	VKVNY	2023-24	121610.00	509628.00	631238.00	107316.00	523922.00
5.	SDP/SDRF	2023-24	74583.70	523710.00	598293.70	225918.00	372375.70
6.	MMGPY	2023-24	1884.00	50667.00	52551.00	35600.00	16951.00
7.	SBM	2023-24	293272.00	9049.00	302321.00	0.00	302321.00
8.	MPLADS	2023-24	1284.00	40.00	1324.00	0.00	1324.00
9.	14th FC	2023-24	277298.72	12675.00	289973.72	0.00	289973.72
10.	15th FC	2023-24	2653451.00	567251.30	3220702.30	169177.00	3051525.30
11.	IAY	2023-24	32.00	12.00	44.00	0.00	44.00
12.	SCSP	2023-24	936.00	0.00	936.00	936.00	0.00
13.	MNREGA	2023-24	0.00	1884307.05	1884307.05	1884307.05	0.00

It is certified that above Financial Position of grants presented to Audit is as per Online Cashbooks maintained on E-Gram Swaraj.

42

(परिशिष्ट " ग ", पैरा संख्या " 4 (ख) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत ढ़गवार, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176001

ग्राम पंचायत ढ़गवार के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक गत शेष 01.04.2023	बैंक अंत शेष 31.03.2024	कुल बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1.	सभा निधि (OWN SOURCE)	KCCB मसरेड़	50052299041	₹ 16,02,021.00	₹ 16,14,573.00	₹ 16,14,573.00	₹ 16,14,573.00
2.	5वां राज्य वित्तायोग (5^{TH} SFC)	KCCB मसरेड़	50057198220	₹ 2,79,978.00	₹ 1,59,970.00	₹ 4,64,058.00	₹ 4,64,058.00
		KCCB मसरेड़	50074536544	₹ 2,79,165.00	₹ 3,04,088.00		
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA)	KCCB मसरेड़	50056988231	₹ 85,094.00	₹ 79,117.00	₹ 79,117.00	₹ 79,117.00
5.	राजीव आवास योजना/ अटल आवास योजना (RAYEAAY)/ इंदिरा आवास योजना (IAY)	KCCB मसरेड़	50056851502	₹ 357.00	₹ 369.00	₹ 369.00	₹ 369.00
6.	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	KCCB मसरेड़	50057188711	₹ 1,21,610.00	₹ 5,23,922.00	₹ 5,23,922.00	₹ 5,23,922.00
7.	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)/राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)/अनुसूचित जातियों (एस.सी.) के लिए विशेष घटक योजना (SCSP)	KCCB मसरेड़	50058707168	₹ 74,583.70	₹ 3,72,375.70	₹ 3,72,375.70	₹ 3,72,375.70
8.	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	KCCB मसरेड़	50065507070	₹ 1,884.00	₹ 16,951.00	₹ 16,951.00	₹ 16,951.00
9.	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	KCCB मसरेड़	50057298430	₹ 2,93,272.00	₹ 3,02,296.00	₹ 3,02,296.00	₹ 3,02,321.00
10.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.)	KCCB मसरेड़	50066693950	₹ 1,284.00	₹ 1,324.00	₹ 1,324.00	₹ 1,324.00
11.	14वाँ वित्तायोग (14^{TH} FC)	KCCB मसरेड़	50058357780	₹ 3,298.42	₹ 3,398.42	₹ 2,89,998.72	₹ 2,89,973.72
12.		HDFCधर्मशाला	50100317317251	₹ 2,80,218.30	₹ 2,86,600.30		
13.	15वाँ वित्तायोग (15^{TH} FC)	HDFCधर्मशाला	50100374041357	₹ 27,76,050.00	₹ 30,51,525.30	₹ 30,51,525.30	₹ 30,51,525.30
	कुल योग			₹ 100.00	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.00
				₹ 57,98,915.42	**₹ 67,16,509.72**	**₹ 67,16,509.72**	**₹ 67,16,509.72**

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	**₹ 67,16,509.72**
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	**₹ 67,16,509.72**
अंतर :-	**₹ 0.00**

43

(परिशिष्ट " घ " पैरा संख्या " 4.1 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत ढ़गवार, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176001

ग्राम पंचायत ढ़गवार के गत अंकेक्षण अनुसार 31.03.2023 को सभा निधि एवं अनुदानों का समेकित अंतशेष एवं वर्तमान अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत online रोकड़ बहियों अनुसार 01.04.2023 को सभा निधि एवं अनुदानों के प्रारम्भिक शेष में राशि ₹ 1.28 लाख के अंतर बारे

Sl. No.	Heads	Closing Balance as on 31.03.2023 as per last Audit (Offline Cashbooks)	Op.Bal. as on 01.04.2023 for present audit as per online Cashbooks and financial position
1.	सभा निधि (OWN SOURCE)	₹ 16,02,141.00	₹ 15,98,411.00
2.	5वां राज्य वित्तायोग (5^{TH} SFC)	₹ 5,59,083.00	₹ 5,59,143.00
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA)	₹ 85,094.00	₹ 85,094.00
4.	राजीव आवास योजना/ अटल आवास योजना (RAYEAAY)	₹ 357.00	₹ 325.00
5.	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	₹ 1,21,610.00	₹ 1,21,600.00
6.	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)/ राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)	₹ 74,583.70	₹ 74,583.70
7.	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	₹ 1,884.00	₹ 1,884.00
8.	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	₹ 2,93,272.00	₹ 2,93,272.00
9.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.)	₹ 1,284.00	₹ 1,284.00
10.	14वाँ वित्तायोग (14^{TH} FC)	₹ 2,81,435.72	₹ 2,77,298.72
11.	15वाँ वित्तायोग (15^{TH} FC)	₹ 27,74,450.30	₹ 26,53,451.00
12.	इंदिरा आवास योजना (IAY)	Record not produced during Last Audit	₹ 32.00
13.	अनुसूचित जातियों (एस.सी.) के लिए विशेष घटक योजना (SCSP)	Record not produced during Last Audit	₹ 936.00
		₹ 57,95,194.72	**₹ 56,67,314.42**

गत अंकेक्षण अनुसार 31.03.2023 को सभा निधि एवं अन्य अनुदानों का समेकित अंतशेष:-	**₹ 57,95,194.72**
वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत रोकड़ बहियों अनुसार सभा निधि एवं अनुदानों का 01.04.2023 को प्रारम्भिक शेष:-	**₹ 56,67,314.42**
अंतर :-	**₹ 1,27,880.30**

संतोष कुमार

44

(परिशिष्ट " **ङ** ", पैरा संख्या " **7.1** " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत ढ़गवार, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा हि०प्र०- 176001

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

प्रमाणित किया जाता है कि पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2023-24 में 740 परिवारों का ₹50/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2023-24	₹ 1,14,200.00	740	₹ 50.00	₹ 37,000.00	₹ 1,51,200.00	₹ 90,550.00	₹ 60,650.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹60,650.00/-** है।						

(परिशिष्ट " **च** ", पैरा संख्या " **7.2** " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत ढ़गवार, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा हि०प्र०- 176001

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में दुकानों का किराया वसूली हेतु शेष :-

प्रमाणित किया जाता है कि पंचायत द्वारा 08 दुकानों में से कुल 07 दुकानों को ₹400/- प्रतिमाह की दर से किराये पर दिया गया है एवं वसूली हेतु शेष किराये का विवरण निम्नलिखित है:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	किराया दर प्रतिमाह	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2023-24	₹ 69,500.00	₹ 400.00	₹ 33,600.00	₹ 1,03,100.00	₹ 12,700.00	₹ 90,400.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹90,400/-** है।					

46

ग्राम पंचायत ढ़गवार द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹ 1.74 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

	वित्त वर्ष - 2023-24							
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	राशी GST सहित	फार्म X / फार्म Y
1.	M/S RAVINDER KUMAR GOVT. CONTRACTOR	Nil/ 04.03.2023	100/ 18.04.2023	Stone	₹ 15.00	1100.00 no.	₹ 16,500.00	Not available
2.				Crusher sand	₹ 43.00	90.00 cft	₹ 3,870.00	
3.	M/S RAVINDER KUMAR GOVT. CONTRACTOR	Nil/ 04.03.2023	100/ 25.11.2023	Sand	₹ 43.00	300.00 cft	₹ 12,900.00	Not available
4.				Agg 20mm	₹ 31.00	400.00 cft	₹ 12,400.00	
5.	M/S RAVINDER KUMAR GOVT. CONTRACTOR	Nil/ 04.03.2023	6/ 27.12.2023	Crusher	₹ 31.00	100.00 cft	₹ 3,100.00	Not available
6.				Sand	₹ 43.00	50.00 cft	₹ 2,150.00	
7.	MS Kapil Sharma Govt. Contractor	Nil/ 01.03.2024	729/ 17.10.2022	Aggrigate 20mm	₹ 28.00	565.00 cft	₹ 15,820.00	Not available
8.				Boulder	₹ 24.00	747.00 cft	₹ 17,928.00	
9.	M/S MANJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	Nil/04.03.2024	651/02.02.2023	Stone(Big size)	₹ 22.97	2000.00 no	₹ 45,942.00	Not available
	अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)/ राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)							
10.	M/S RAVINDER KUMAR GOVT. CONTRACTOR	SDP/2023-24/P/6 Dt 01.03.2024	079/ 28.06.2023	Crusher Sand	₹ 43.00	350.00 cft	₹ 15,050.00	Not available
11.				Aggrigate 20mm	₹ 31.00	650.00 cft	₹ 20,150.00	
12.				Boulder	₹ 25.00	260.00 cft	₹ 6,500.00	
13.	M/S RAVINDER KUMAR GOVT. CONTRACTOR	SDP/2023-24/P/7 Dt 01.03.2024	078/ 28.06.2023	Boulder	₹ 25.00	83.40 cft	₹ 2,085.00	Not available
						कुल जोड़	₹ 1,74,395.00	

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Dhagwar is true and as per records available at GP Dhagwar Ofiice.

(सुभाष चंद)
ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत ढ़गवार

T.A / J.E CIVIL
DEV. BLOCK D/SALA
रोहित कुमार

रणजीत कुमार
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ढगवार
विकास खण्ड धर्मशाला

47

परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " 8.2 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत ढ़गवार द्वारा बजरी एवं पत्थर की खरीद में रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹ 0.14 लाख का आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त/अनियमित भुगतान का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	राशी GST सहित	कटौती दर	रिक्तियां (Voids)
वित्त वर्ष - 2023-24									
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)									
1.	M/S RAVINDER KUMAR GOVT. CONTRACTOR	Nil/ 04.03.2023	100/ 18.04.2023	Stone	₹ 15.00	1100.00 no	₹ 16,500.00	12.50%	₹ 2,062.50
2.	M/S RAVINDER KUMAR GOVT. CONTRACTOR	Nil/ 04.03.2023	100/ 25.11.2023	Agg 20mm	₹ 31.00	400.00 cft	₹ 12,400.00	5.00%	₹ 620.00
3.	M/S RAVINDER KUMAR GOVT. CONTRACTOR	Nil/ 04.03.2023	6/ 27.12.2023	Crusher	₹ 31.00	100.00 cft	₹ 3,100.00	5.00%	₹ 155.00
4.	MS Kapil Sharma Govt. Contractor	Nil/ 01.03.2024	729/ 17.10.2022	Aggrigate 20mm	₹ 28.00	565.00 cft	₹ 15,820.00	5.00%	₹ 791.00
5.				Boulder	₹ 24.00	747.00 cft	₹ 17,928.00	12.50%	₹ 2,241.00
6.	M/S MANJEET SINGH GOVT. CONTRACTOR	Nil/ 04.03.2024	651/ 02.02.2023	Stone(Big size)	₹ 22.97	2000.00 no	₹ 45,942.00	12.50%	₹ 5,742.75
अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)/ राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)									
7.	M/S RAVINDER KUMAR GOVT. CONTRACTOR	SDP/2023-24/P/6 Dt 01.03.2024	079/ 28.06.2023	Aggrigate 20mm	₹ 31.00	650.00 cft	₹ 20,150.00	5.00%	₹ 1,007.50
8.				Boulder	₹ 25.00	260.00 cft	₹ 6,500.00	12.50%	₹ 812.50
9.	M/S RAVINDER KUMAR GOVT. CONTRACTOR	SDP/2023-24/P/7 Dt 01.03.2024	078/ 28.06.2023	Boulder	₹ 25.00	83.40 cft	₹ 2,085.00	12.50%	₹ 260.63
					कुल जोड़ (R/Off)		**₹ 1,40,425.00**		**₹ 13,693.00**

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Dhagwar is true and as per records available at GP Dhagwar Ofiice.

(सुभाष चंद)
ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत ढ़गवार

T.A/ J.E CIVIL
DEV. BLOCK D/SALA
Rohit Kumar

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ढगवार
विकास खण्ड धर्मशाला

48

ग्राम पंचायत ढ़गवार द्वारा औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किये बिना राशि ₹ 0.49लाख की निर्माण सामग्री/स्टॉक के क्रय एवं स्टॉक प्रविष्टि न करने का विवरण

	वित्त वर्ष - 2022-2023								
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)								
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा		राशी GST सहित	टिप्पणी
1.	M/s Riyanshi Enterprises	Nil/04.03.2024	193/16.12.2022	Angel Fencing Post with Welding 35x35x5	₹ 136.40	305.10	kgs	₹ 41,615.64	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
				GST @18%				₹ 7,490.82	
					कुल जोड़ (R/Off)			₹ 49,106.00	

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Dhagwar is true and as per records available at GP Dhagwar Office.

सन्तोष कुमार

सुनीता देवी
ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत ढगवार

49

परिशिष्ट " ञ ", पैरा संख्या " **8.5** व **8.6** " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत ढ़गवार द्वारा सीमेंट क्रय हेतु भुगतान की गई अग्रिम राशि ₹ 2.20 लाख से संबंधित प्रोफॉर्मा एवं मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एवं अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाए जाने का विवरण

वित्त वर्ष 2023-24							
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	Performa Bill/ Invoice/ Date	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान की गई राशि
1.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/ 01.03.2024	Not Produced	सीमेंट	₹ 397.00	100.00 Bags	₹ 39,700.00
						जोड़ (i)	**₹ 39,700.00**
अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	Performa Bill/ Invoice/ Date	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान की गई राशि
1.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	VKVNY/2023-24/P/5 Dt 15.03.2024	Not Produced	सीमेंट	₹ 397.00	50.00 Bags	₹ 19,850.00
2.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	VKVNY/2023-24/P/6 Dt 15.03.2024	Not Produced	सीमेंट	₹ 397.00	55.00 Bags	₹ 21,835.00
3.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	VKVNY/2023-24/P/7 Dt 15.03.2024	Not Produced	सीमेंट	₹ 397.00	48.00 Bags	₹ 19,056.00
4.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	VKVNY/2023-24/P/8 Dt 27.03.2024	Not Produced	सीमेंट	₹ 400.00	23.00 Bags	₹ 9,200.00
5.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	VKVNY/2023-24/P/9 Dt 27.03.2024	Not Produced	सीमेंट	₹ 400.00	16.00 Bags	₹ 6,400.00
						जोड़ (ii)	**₹ 76,341.00**
अनुदान शीर्ष : मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	Performa Bill/ Invoice/ Date	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान की गई राशि
1.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	MMGPY/2023-24/P/1 Dt 27.03.2024	Not Produced	सीमेंट	₹ 400.00	89.00 Bags	₹ 35,600.00
						जोड़ (iii)	**₹ 35,600.00**
अनुदान शीर्ष : क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	Performa Bill/ Invoice/ Date	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान की गई राशि
1.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	SDP/2023-24/P/9 Dt 15.03.2024	Not Produced	सीमेंट	₹ 397.00	82.00 Bags	₹ 32,554.00
2.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	SDP/2023-24/P/10 Dt 15.03.2024	Not Produced	सीमेंट	₹ 397.00	22.00 Bags	₹ 8,734.00
3.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	SDP/2023-24/P/11 Dt 15.03.2024	Not Produced	सीमेंट	₹ 397.00	35.00 Bags	₹ 13,895.00
						जोड़ (iv)	**₹ 55,183.00**
अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15TH FC)							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	Performa Bill/ Invoice/ Date	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान की गई राशि
1.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	XVFC/2023-24/P/43 Dt 14.03.2024	Not Produced	सीमेंट	₹ 397.00	32.00 Bags	₹ 12,704.00
						जोड़ (v)	**₹ 12,704.00**
						कुल जोड़ (i + ii+iii+iv+v)	**₹ 2,19,528.00**

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Dhagwar is true and as per records available at GP Dhagwar Ofiice.

सुभाष चन्द
ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत ढगवार

प्र० सन्तोष कुमार

ग्राम पंचायत ढ़गवार द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य में निर्धारित खपत मानदण्डों एवं अनियमित माप गणना के दृष्टिगत ₹0.21 लाख के अनियमित/अतिरिक्त भुगतान का विवरण

अनुदान शीर्ष :	**15वां वित्त आयोग (15th FC)**		
Work Name:	**कार्यपूर्ति रास्ते में इंटरलोक टाइल लगाने हेतु विवेक की दुकान से सतीश वालिया की दुकान की ओर**		
Work Status:	**Completed**		
स्वीकृत राशि:	**₹97,800.00**	कुल व्यय राशि :	**₹97,660.00**
एम० बी० संख्या / पृ० सं०	**0161 पृ०सं० 44 से 46**		

1. Error: Recording excess measurement in Item No. 1 in comparison with Item 2

- As per M.B. in Item No. 1 (P/L CC 1:4:8) length of **56.80 Mtrs** was recorded instead of **46.00 Mtrs** when compared with Item No. 2 P/L interlocking paver 60mm, resulting error of 01 extra RD of excess length of **10.80 Mtrs (56.80 Mtrs – 46.00 Mtrs)** in Item No. 1 (P/L CC 1:4:8).
- As per technical estimate P/L CC work for Item No. 1 was approved in ratio **1:5:10** however as per M.B. P/L CC work was executed in **1:4:8** ratio **without prior/revised sanction**.
- Record entries pertaining to above mentioned error as per MB is as follow: -

Measurement as recorded in MB	Measurement which may be recorded in MB	Excess Qty measured
Item No. 1 (P/L CC 1:4:8) 1x**2.46**x2.20x0.062= **0.34m³** 1x**6.00**x2.13x0.062= **0.79m³** 1x**10.00**x2.13x0.062= **1.32m³** 1x**7.00**x2.15x0.062= **0.93m³** 1x**10.00**x2.00x0.062= **1.24m³** 1x**10.54**x2.10x0.062= **1.37m³** 1x**10.80**x1.80x0.062= **1.21m³ (Extra RD)** Total = **7.20 m³**	**Item No. 1 (P/L CC 1:5:10)** 1x**2.46**x2.20x0.062= **0.34m³** 1x**6.00**x2.13x0.062= **0.79m³** 1x**10.00**x2.13x0.062= **1.32m³** 1x**7.00**x2.15x0.062= **0.93m³** 1x**10.00**x2.00x0.062= **1.24m³** 1x**10.54**x2.10x0.062= **1.37m³** Total = **5.99 m³**	7.20 M³ – 5.99m³ = **1.21 M³**

2. Error: Recording excess measurement in Item No. 2 in comparison with Item 3

- As per M.B. in Item No. 3 P/L CC 1:2:4 i.e. 2x46.00x**0.20**x0.06 = **1.10 m³**, Width of **0.20 Mtrs** was recorded both side i.e. **0.40 Mtrs** in total, whereas when compared with Item No. 2 P/L interlocking paver 60mm i.e. the width of **0.40 Mtrs** was not deducted.
- Record entries pertaining to above mentioned error as per MB is as follow: -

Measurement as recorded in MB	Measurement which may be recorded in MB	Excess Qty measured
Item No. 2 P/L interlocking paver 60mm 1x2.46x**2.20**= **5.41m²** 1x6.00x**2.13**= **12.78m²** 1x10.00x**2.13**= **21.30m²** 1x7.00x**2.15**= **15.05m²** 1x10.00x**2.00**= **20.00m²** 1x10.54x**2.10**= **22.13m²** **Total = 96.68m²**	**Item No. 2 P/L interlocking paver 60mm** (with deduction of 0.40 Mtr) 1x2.46x**1.80**= **4.42m²** 1x6.00x**1.73**= **10.38m²** 1x10.00x**1.73**= **17.30m²** 1x7.00x**1.75**= **12.25m²** 1x10.00x**1.60**= **16.00m²** 1x10.54x**1.70**= **17.91m²** **Total = 78.26m²**	96.68m² – 78.26m² = **18.42m²**

➢ The errors have resulted in excess payment as under: -							
Excess Labour Paid							**Amount**
1.21 M^3 @ ₹427.95 (Labour)							**₹517.82**
18.42 M^2 @ ₹15.95 (Labour)							**₹293.79**
Total excess Labour paid including Labour Enhancement @ 275% (i)							**₹3,043.53**
Excess Material Paid							
क्र०	**सामग्री का नाम** (1)	**क्रय की गयी सामग्री की मात्रा** (2)	**माप पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा** (3)	**अंकेक्षण अनुसार खपत योग्य सामग्री की मात्रा** (4)	**अन्तर (2-4)**	**दर**	**राशी**
1.	Sand	**200.00 cft**	**229.69 cft**	**116.88 cft**	**83.12 cft**	**₹43.00**	**₹3,574.16**
2.	Agg 20 mm	**300.00 cft**	**274.71 cft**	**222.80 cft**	**77.20 cft**	**₹31.00**	**₹2,393.20**
3.	Cement	**31.00 Bags**	**31.00 Bags**	**23.00 Bags**	**8.00 Bags**	**₹400.00**	**₹3,200.00**
4.	Tiles 60mm	**96.68 m^2**	**96.68 m^2 (3190 tiles)**	**78.26 m^2**	**18.42 m^2**	**₹485.00**	**₹8,933.70**
	Total excess material paid (ii)						**₹18,101.06**
	Total Extra Payment due to error in record entries (R/OFF) (i+ii)						**₹21,245.00**

PL CC (1:5:10) 5.99 M^3 = 5.99 x 0.47 x 35.31 (Sand Factor) = 99.41 cft

PL CC (1:2:4) 1.10 M^3 = 1.10 x 0.45 x 35.31 (Sand Factor) = 17.47 cft

Total = **116.88 cft**

PL CC (1:5:10) 5.99 M^3 = 5.99 x 0.89 x 35.31 (Agg Factor) = 188.24 cft

PL CC (1:2:4) 1.10 M^3 = 1.10 x 0.89 x 35.31 (Agg Factor) = 34.56 cft

Total = **222.80 cft**

PL CC (1:5:10) 5.99 M^3 = 5.99 x 2.60 (Cement Factor) = 15.57 Bag

PL CC (1:2:4) 1.10 M^3 = 1.10 x 6.4 (Cement Factor) = 7.04 Bag

Total = **22.61 Bags**

T.A / J.E CIVIL
DEV. BLOCK D/SALA
Rohit kumar

संतोष कुमार
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत दगवार
विकास खण्ड धर्मशाला

17/02/2025

(परिशिष्ट " ठ " पैरा संख्या " 8.8 " में संदर्भ में)

ग्राम पंचायत ढ़गवार द्वारा विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत चयनित माह में भुगतान की गई राशि ₹2.11 लाख से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध आदि) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का विवरण

क्र०सं०	अनुदान	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	कार्य का नाम	चयनित माह में भुगतान की गई राशि
1.	VKVNY	VKVNY/2023-24/P/5 Dt 15.03.2024	Not Produced	सौन्दर्यकरण मोक्ष धाम वार्ड नं 3	₹ 19,850.00
2.	VKVNY	VKVNY/2023-24/P/6 Dt 15.03.2024	Not Produced	निर्माण मोक्ष धाम वार्ड नं 3	₹ 21,835.00
3.	VKVNY	VKVNY/2023-24/P/7 Dt 15.03.2024	Not Produced	निर्माण खेल मैदान नजदीक GMS ढ़गवार वार्ड नं 3	₹ 19,056.00
4.	VKVNY	VKVNY/2023-24/P/8 Dt 27.03.2024	Not Produced	निर्माण कुहल नजदीक प्रवीण कुमार की ज़मीन वार्ड 06	₹ 9,200.00
5.	VKVNY	VKVNY/2023-24/P/9 Dt 27.03.2024	Not Produced	निर्माण शेड नजदीक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र ढ़गवार वार्ड नं 03	₹ 6,400.00
6.	SDP/SDRF	SDP/2023-24/P/6 Dt 01.03.2024	079/ 28.06.2023	निर्माण बलड़ी कुहल देवराज के घर से राम ढण के घर कि ओर	₹ 41,700.00
		SDP/2023-24/P/7 Dt 01.03.2024	078/ 28.06.2023		₹ 2,085.00
7.	SDP/SDRF	SDP/2023-24/P/9 Dt 15.03.2024	Not Produced	C/O Moksh Dham Ward No. 3	₹ 32,554.00
8.	SDP/SDRF	SDP/2023-24/P/10 Dt 15.03.2024	Not Produced	निर्माण रास्ता इंटरलोक टाइल मेन रोड से किशोरी लाल के घर तक	₹ 8,734.00
9.	SDP/SDRF	SDP/2023-24/P/11 Dt 15.03.2024	Not Produced	C/O Path with interlocking tiles from Dodan culvert to Kartar Chand Land	₹ 13,895.00
10.	MMGPY	MMGPY/2023-24/P/1 Dt 27.03.2024	Not Produced	C/O Path Lota Ram House towards Ramesh Chand House	₹ 35,600.00
				कुल जोड़	**₹ 2,10,909.00**

T.A / J.E CIVIL
DEV. BLOCK D/SALA
Rohit Kumar

53

ग्राम पंचायत ढ़गवार द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने की अपेक्षा आपूर्तिकर्ता को राशि ₹ 0.86 लाख का अनियमित भुगतान करना

क्र० सं०	कार्य का नाम	वर्क कोड	MIS अनुसार कुल व्यय राशि	MIS अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि
1.	निर्माण वर्षा जल संग्रहण सुरेश कुमार सपुत्र श्री बजीर चंद की जमीन में	1304004166/IF/8000095077	₹ 98,942.88	₹ 32,290.70
2.	पौधारोपण कार्य संजय शर्मा राज शर्मा व राजिन्द्र शर्मा की जमीन में .	1304004166/IF/8000144189	₹ 89,875.66	₹ 30,885.66
3.	निर्माण पौधारोपण मालतू देवी पत्नी श्री प्रशोतम चंद की जमीन में	1304004166/IF/8000144346	₹ 34,324.68	₹ 11,204.68
4.	निर्माण गौशाला विपन कुमार की जमीन में वार्ड 6	1304004166/IF/8000211244	₹ 35,875.42	₹ 11,609.24
		कुल जोड़	**₹ 2,59,018.64**	**₹ 85,990.28**

T.A / J.E CIVIL
DEV. BLOCK D/SALA

54

(परिशिष्ट " ढ " पैरा संख्या " 9.2 " के संदर्भ में)

ग्राम पंचायत ढ़गवार द्वारा मनरेगा अनुदानों के अंतर्गत स्वीकृत राशि ₹ 16.04 लाख के निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का विवरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	वर्क कोड	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशी	MIS अनुसार कुल भुगतान की गई राशि	कार्य की स्थिति
1.	निर्माण सायक्लोंन शेल्टर वार्ड -5	1304004166/AV/8000047383	2021-22	₹ 2,99,518.00	₹ 2,90,061.00	पूर्ण
2.	निर्माण सुरक्षा दीवार मोक्षधाम नजदीक मांझी खड्ड वार्ड 4	1304004166/FP/8000117817	2023-24	₹ 2,20,792.00	₹ 1,99,824.74	पूर्ण
3.	निर्माण बलडी कुहल देवराज के घर के पास मट गाँव की ओर	1304004166/IC/8000052074	2023-24	₹ 2,30,062.00	₹ 2,24,900.51	पूर्ण
4.	निर्माण जीप रोड सुनील कुमार महासा के घर से विधि सिंह नडोल के घर की ओर	1304004166/RC/8000125314	2021-22	₹ 55,002.00	₹ 52,899.85	पूर्ण
5.	पंचटी योजना के अंतर्गत पंचायत बगीचा में बाउंड्रीवाल लगाने बारे वार्ड 3	1304004166/AV/8000040210	2020-21	₹ 5,00,000.00	₹ 4,30,083.90	पूर्ण
6.	निर्माण मोक्षधाम व् क्रेट वर्क वार्ड -3	1304004166/AV/8000047384	2021-22	₹ 2,98,181.00	₹ 2,27,166.00	पूर्ण
			कुल जोड़	**₹ 16,03,555.00**	**₹ 14,24,936.00**	

(सुभाष चंद)
ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत ढ़गवार

T.A / J.E CIVIL
DEV. BLOCK D/SALA
Rohit Kumar

संजीव कुमार
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ढ़गवार
विकास खण्ड धर्मशाला

(परिशिष्ट " प " पैरा संख्या " **10.1** व **10.2** " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत ढ़गवार, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176001

(क) आवेदनकर्ता से वसूली हेतु शेष राशि ₹0.002 लाख विवाह पंजीकरण शुल्क का विवरण :-

क्र०सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	रसीद संख्या	दिनांक	वसूली हेतु शेष राशि
1.	Raman Kumar	12-05-2023	21-06-2023	₹ 400.00	₹ 200.00	0300476	06-05-2023	₹ 200.00
			कुल योग	**₹ 400.00**	**₹ 200.00**			**₹ 200.00**

(ख) आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि ₹0.02 लाख को हि०प्र० कोषागार (Treasury) में जमा न करवाने का विवरण:-

क्र०सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	रसीद संख्या	दिनांक
1.	Raman Kumar	12-05-2023	21-06-2023	₹ 400.00	₹ 200.00	0300476	06-05-2023
2.	Rohan Kaushal	26-10-2023	24-11-2023	₹ 200.00	₹ 200.00	0300478	06-05-2023
3.	Bayant Singh	27-11-2023	12-12-2023	₹ 200.00	₹ 200.00	0300481	12-12-2023
4.	Nikhil Kumar	16-01-2024	05-02-2024	₹ 200.00	₹ 200.00	0107011	29-02-2024
5.	Mohit Kumar	30-01-2024	29-02-2024	₹ 200.00	₹ 200.00	0107013	29-02-2024
6.	Akshay Kumar	18-02-2024	11-03-2024	₹ 200.00	₹ 200.00	0107016	06-03-2024
7.	Amit Kumar	18-02-2024	11-03-2024	₹ 200.00	₹ 200.00	0107019	11-03-2024
8.	Sahil Kumar	18-02-2024	13-03-2024	₹ 200.00	₹ 200.00	0107020	13-03-2024
9.	Surinder Kumar	28-02-2024	15-03-2024	₹ 200.00	₹ 200.00	0107094	15-03-2024
			कुल योग	**₹ 2,000.00**	**₹ 1,800.00**		

वित्त वर्ष 2023-24 में वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क की कुल राशि	**₹ 1,800.00**

56